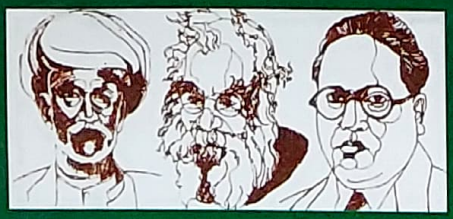

वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 5/-
केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक मई - जून 09

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु उचित बजट प्रावधान एवं "ओबीसी हेतु संसदीय कमेटी" के गठन से जुड़े मसलों पर हम माननीय प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे

वी. नारायण स्वामी
योजना एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री
संरक्षक - AIF (OBC) EWA

संसद के आरम्भिक सत्र के दौरान माननीय सांसदों एवं मंत्रियों से मिलकर ओबीसी के हेतु संसदीय कमेटी के गठन और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को समुचित अधिकार दिए जाने हेतु ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली दौरा

माननीय सांसद श्री टी.के. एस. एलान गोवन को ज्ञापन सौपते फेडरेशन के महामंत्री श्री जी. करुणानिधि एवं वायस ऑफ ओबीसी के सम्पादक श्री जी. पार्थ सारथी

ऊर्जा राज्यमंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी के साथ अ.पि.वर्गों के लिए संसदीय समिति के गठन पर चर्चा करते हुए ओबीसी एमपीज के समन्वयक सांसद श्री वी. हनुमंत राव एवं महामंत्री जी. करुणानिधि

ओबीसी सांसदों के संसदीय फोरम के समन्वयक माननीय सांसद (रास) श्री वी. हनुमंत राव का स्वागत करते हुए फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल

योजना एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री वी.नारा[illegible] स्वामी का स्वागत करते हुए फेडरेशन के उ.प्र. सम[illegible] सचिव श्री अमृतांशु एवं महामंत्री जी. करु[illegible]

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 3 मई-जून 09

केवल आंतरिक वितरण हेतु

परामर्श
जी. करुणानिधि
जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

संपादक एवं प्रकाशक
चंदन विश्वकर्मा

मानद संपादक
अमृतांशु

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुशवाहा
विनोद प्रसाद शर्मा
नवीन कुमार यादव

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार
अशोक कुमार, विजय कुमार
डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार
रामनाथ सिंह यादव
कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल
सुनील जायसवाल, जयशंकर प्रसाद
मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद
गोपाल जी शर्मा, सी.पी. सिंह,

पत्राचार
रामदेईकटरा
डी. 52/19, लक्सा रोड
वाराणसी, उ.प्र. 221007
दूरभाष : 0542-2405586

ई-मेल
aiobc.up@gmail.com

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर
नाटी इमली, वाराणसी

सहयोग राशि : 5 रुपये

महिला आरक्षण बनाम सवाल दर सवाल

महिला आरक्षण पर कुछ भी कहने सुनने से पहले, संक्षेप में उसके मायने और औचित्य के अलावा उसकी पेचिदगियों और उन विवादों पर समझ साफ करना जरुरी है, जिन वजहों से यह बिल अपने पहले प्रयास के बारह वर्षों के बाद भी पारित नहीं हो सका।

संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का ख्याल सबसे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व काल में आया था, जब 1992 में (73 वें और 74 वें विधान संशोधन) पंचायती राज एक्ट बना और पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई। कालान्तर में प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने 1996 में महिला आरक्षण के वादें को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, जिसे बाद में प्रधानमंत्री आई. के. गुजराल ने उसके वर्तमान स्वरुप में लाने में काफी योगदान दिया। यानि एक ऐसा बिल जिसे मूर्तरुप में कानून बनाने के पीछे कितने वर्षो के प्रयास शामिल है। फिर आखिर वो कौन सी दिक्कतें है कि उसे अमली जामा पहनाने में हमारी संसद और हमारे माननीय सांसद एक सर्वसम्मत नतीजे तक नहीं पहुँच पाये।

पूर्व में लोकसभा में तीन बार महिला आरक्षण बिल पेश किए गए। किंतु कतिपय कारणों से अन्ततः बिल पारित नहीं हो सका।

1. पहली बार 12 सितम्बर 1996 को श्री एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में यह बिल (81 वां संविधान संशोधन बिल,1996) लोकसभा में रखा गया परन्तु अल्पमत में आने से श्री देवगौड़ा सरकार गिर गई। 11 वीं लोकसभा भंग कर दी गई।
2. सन् 1998 में श्री अटल बिहारी बाजपेई की सरकार ने दूसरी बार महिला आरक्षण बिल (84 वाँ संविधान संशोधन बिल 1998) लोकसभा में पेश किया गया। इस बार भी बाजपेई सरकार के अल्पमत में आने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। 12 वीं लोकसभा भंग हो गयी।
3. पुनः तीसरी बार 23 दिसम्बर 1999 में महिला आरक्षण बिल निचली सदन में पेश किया गया परन्तु इस बार राजनैतिक मतैक्य न होने के कारण बिल पास नहीं हो सका।

चौथा प्रयास (रणनीतिक तैयारी के साथ रास में पेश)

6 मई 2008 को डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को नए बिल के रुप में पेश किया। गौरतलब है कि यह बिल लोकसभा के बजाए राज्यसभा यानी ऊपरी सदन में पेश किया गया। यह एक समझपूर्ण प्रयास माना जा सकता है। इसके पीछे वजह यह थी कि 14 वीं लोकसभा कें भंग होने की स्थिति में भी यह बिल मृत नहीं माना जा सकता और 15 वीं लोकसभा में किसी भी दल की सरकार में इसे पारित कराए जा सकते थे। अनुच्छेद 107 (4) के तहत राज्यसभा (Council of States) में पेश संगठित बिल लोकसभा (House of People) के भंग होने के कारण रद्द नहीं मान जा सकते, इसलिए भी माना गया कि यूपीए सरकार मौजूदा बिल के प्रति सचेत एवं गम्भीर है।

अब यदि उन पेचदगियों जिचों और विवादों पर विचार करे तो पाते हैं कि संसद में कुल सांसदों की संख्या 543 है। 33 प्रतिशत यानी 181 सीटों का आरक्षण एक बड़ा प्रश्न है। प्रश्न और भी बड़े हैं - मसलन भारत एक विशालतम प्रजातांत्रिक देश है जहाँ कई धर्म, कई समुदाय, कई वंर्ग,

कई समाज, कई सभ्यताएं जीवित है। जाहिर है इन्ही परम्पराओं और समाज में मनुष्य जिता है, कार्य करता है और देश की पहचान बनती है।

वर्चस्व की लड़ाई भी इन्हीं समाज वर्गों मे होती रही है। इसी समाज ने कार्य के आधार पर मनुष्यों को बाँटा और आलम यह है कि बंटवारे के हजारों साल बाद आज भी आदमी की सामाजिक पहचान का बड़ा हिस्सा उसी काम के आधार पर बंटे वर्गों (जातियों) से होती रही है।

यह वही देश है जहाँ एक बड़ा वर्ग सैकड़ों वर्षो से सामाजिक न्याय की लड़ता रहा है और अपनी अक्षुण ऊर्जा जो देश और समाज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास में लगनी चाहिए थी, उनके अपने स्वाभिमान और अधिकारों को पाने में लगती रही। क्या यह प्रश्न अप्रासंगिक है कि वर्चस्व और श्रेष्ठता की लड़ाई में प्रतिभाएं कुंद होती हैं। प्रतिभाओं की हत्या होती है। एकलव्य इसका ऐतिहासिक उदाहरण है और अद्यतन उदाहरण के लिए गाँवों से शहरों तक कई एकलव्य पाए जा सकते हैं।

भारत की सामाजिक समरसता और जार्ज बर्नार्ड शॉ की ''आल मेन आर इक्वल'' का सच सामाजिक गैर बराबरी से उपजा वह दृष्टिकोण है जिसकी स्थापना मात्र से ही हम एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं।

प्रश्न, महिला आरक्षण का नहीं, प्रश्न समान अवसर, समान अधिकार और उस प्रतिनिधित्व का है जो समानुपात पर आधारित सर्वमान्य है। प्रश्न लोकतंत्र की मर्यादा का है जहाँ संविधान अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार देता है।

चूंकि मसला आरक्षण का है, इसलिए ही कदम फूंक-फूक कर रखते हैं। मौजूदा रुप में ही बिल का पक्ष रखने वालों से आग्रह किया जाना चाहिए कि देश के विगत 50 वर्षो के इतिहास तथ्यों और आँकड़ों पर नजर डालें और देखें कि सामाजिक न्याय की दलील रखने वाले जिन वर्गों से आते हैं उन वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकारी, गैर सरकारी महकमों में कितनी है और इन्हीं जगहों पर उच्च प्रभावपूर्ण पदों इन वर्गो का प्रतिनिधित्व कितना है।

आरक्षण का मूल सिद्धान्त इन्हीं पिछड़े और वंचित वर्गो को सामाजिक भेदभाव से उपजे दोषों को दूर करने इन्हें देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, इनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के विकल्प के रुप पर आधारित है। भले ही वह मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत 27 प्रतिशत का आरक्षण हो या एजुकेशन बिल 2006, जिसके आधार पर घ्क्र, घ्म और घ्ण जैसी संस्थानों में लागू किया गया।

यदि समुचित अवसर एवं बराबर प्रतिनिधित्व का आधार सर्वमान्य है तो फिर महिला आरक्षण के संदर्भ में इसे क्यों कहीं स्वीकार किया जा रहा। क्या जरुरी नहीं कि महिला आरक्षण बिल में पिछड़े और दलित महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग करने वाले लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, उमाभारती, क, मुलायम सिंह यादव, जयाप्रदा जैसे उन सभी सांसदों और सामाजिक संगठनों के आरक्षण संबंधी विचारों को लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में तर्कपूर्ण नजरिए से देखा जाए और सामाजिक न्याय की जमीन को अधिक मजबूत करते हुए उन महिलाओं के लिए भी जगह आरक्षित करें जो सामाजिक शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों से आती है या फिर दलित संज्ञा के दायरे में रखे जाने के अभिशाप से रोज रुबरु होती रही है।

यहाँ उन आतुर हृदयों को भी समझना जरुरी है जो अपनी उदारता का फलक फैलाए महिलाओं की सहभागिता और बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए जोर शोर से 33 प्रतिशत आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। फिर 33 प्रतिशत ही क्यों, क्यों नहीं 50 प्रतिशत। महिलाओं की आबादी आधी है। प्रति 1000 के बराबर प्रति 971 स्त्रियों का अनुपात है हमारे देश में। लेकिन प्रश्न केवल नारी सम्मान का नहीं अपितु कुछ और भी अनुतरित चिंताओं के हैं।

क्या यह सच नहीं है कि पंचायतों, सरपंचों, मुखियों के लिए आरक्षित सीटों पर वे कौन सी महिलाएं है जो चुनाव लड़ती है। क्या वे सारी महिलाएं उन बड़े कद्दावर, प्रभावशाली, दबंग अथवा वर्चस्व प्रधान घरों की महिलाएं नहीं है (विचार करें यदि ओबीसी या दलितों के लिए सीटे आरक्षित नहीं होती तब उन्हीं सीटों से कौन सी महिलाएं खड़ी होती) जो केवल महिला आरक्षण के लाभ के कारण अपनो घरों की महिलाओं को चुनाव लड़वा सके। क्या यह सच नहीं है कि इनमें से अधिकांश महिलाएं आज भी अपने घरों से नहीं निकलती। आप बता सकते हैं जब पुरुष प्रधान इस समाज में ओबीसी और दलित नेताओं की संख्या महज गिनती के हैं वहाँ उन घरों की महिलाओं के बारे में यह आरक्षण बिल क्या सोचता है। सनद रहे देश की कुल जनसंख्या का 62 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़े वर्गों का है और जिसे लोकसभा अर्थात अंग्रेजी में House of People कहा जाना क्या वहाँ इन वर्गों का प्रतिनिधित्व किसी भी स्थिति में कम महत्वपूर्ण है ?

अमृतांशु

ब्लॉग : signpost2.blogspot.com

सामाजिक न्याय के अग्रदूत - महात्मा फूले

महात्मा ज्योतिबा फूले

सावित्री बाई फूले

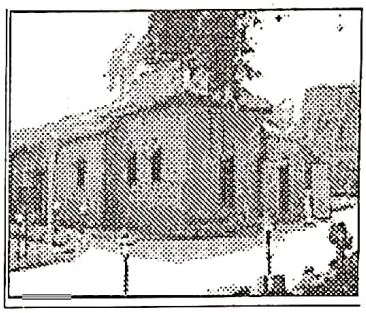

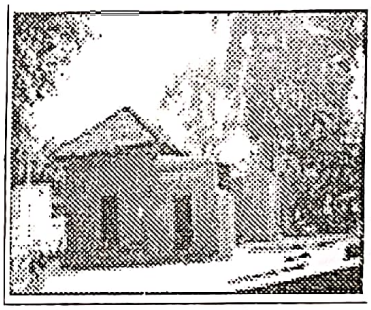

मूल आवास

भारतवर्ष के इतिहास में दलितों के उत्थान का अध्याय महात्मा ज्योतिबा गोविन्दराव फूले के बिना अधूरा है। महात्मा फूले एक महान चिन्तक, समाज सुधारक, दार्शनिक, लेखक, प्रकाशक, वेदान्तों एवं क्रान्तिकारी थे।

महात्मा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटुमन गाँव में हुआ था। आपके पिता का नाम गोविन्द राव था। आप माली जाति के थे एवं आपका पैत्रिक व्यवसाय सब्जियों की खेती का था। महात्मा फूले के दादा का नाम सेतिबा गोराय था वे सतारा से आकर पूना में बस गये थें। महात्मा फूले की माता जी की मृत्यु आपकी 9 माह की अवस्था में ही हो गयी थी। महात्मा फूले का विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में 1840 में सावित्री बाई के साथ हुआ था, सावित्री बाई खान्दूजी नवासे की पुत्री थीं।

महात्मा फूले की प्राथमिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुयी थी। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे अपने परिवार के लोगों के साथ अपने पैत्रिक व्यवसाय सब्जियों की खेती का कार्य करने लगें। आपकी योग्यता को आपके पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम शिक्षक व एक ईसाई ने पहचाना और आपके पिता को प्रेरित किया कि वे ज्योतिराव को आगे पढ़ावें। 1841 में ज्योतिराव को स्थानीय स्काटिश मिशन हाई स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, जहाँ से 1847 में उनकी शिक्षा पूर्ण हुई।

ज्योतिराव के जीवन में 1848 में घटी एक घटना ने आपके जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर दिया। ज्योतिराव अपने एक ब्राह्मण मित्र के विवाह के उत्सव में भाग लेने के लिये गये हुये थे। वहाँ प्रोसेसन के उत्सव में वह शरीक हुये वहाँ पर उनके मित्र के रिश्तेदारों ने उनके निम्न जाति का होने के कारण उन्हें अपमानित किया। महात्मा फूले आँखों में आँसू लेकर वहाँ से चले आये अपने पिता गोविन्दराव को इस घटना के बारे में बताया, गोविन्दराव जी ने आपको शांत करने का काफी प्रयास किया। परंतु इस घटना ने आपके जीवन की दिशा तय कर दी। ज्योति शव ने अपने मन में ठान लिया कि जाति व्यवस्था का विरोध करेंगे एवं समाज में शूद्रों व नारियों के सामाजिक उत्थान के लिये काम करेंगे।

महात्मा फूले ने नीची जाति के लोगों एवं महिलाओं को शिक्षित करने का वीड़ा उठाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को घर पर शिक्षित किया। अगस्त 1848 में आपने शूद्रों के लिये एक विद्यालय खोला। परंतु रुढ़वादियों ने इस प्रयास का विरोध करना शुरु कर दिया। उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किये गये। किसी भी शिक्षक ने उनके विद्यालय में शिक्षक बनने का साहस नहीं दिखाया। तब महात्मा फूले में अपनी पत्नी सावित्री बाई को अध्यापन के लिये कहा। विरोधियों ने सावित्री बाई के ऊपर रास्ते में पत्थर फेंकना शुरु कर दिया परंतु वे लोग विचलित नहीं हुए। तब विरोधियों ने उनके पिता को धमकाना शुरु कर दिया। दबाव में आकर उनके पिता गोविन्द राव जी ने उनसे पत्नी सहित घर छोड़ने के लिए कह दिया। 1848 में महात्मा फूले ने गृहत्याग कर दिया। धन के अभाव में विद्यालय कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा।

3 जुलाई 1851 को महात्मा फूले ने अपने ब्राह्मण मित्रों गवान्डे व वालवेकर के सहयोग से विद्यालय पुनः शुरु किया। पहले दिन ही 8 छात्राओं ने प्रवेश लिया। छात्राओं की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। 1851-52 में महात्मा फुले ने दो और विद्यालय लड़कियों के लिए खोले। 1848

में उन्होंने दलितों, शूद्रों के लिए विद्यालय खोला जिसमें मुख्यतः माहर व मागों को शिक्षा दी जाती थी। कुछ समय बाद महात्मा फूले ने दो और विद्यालय दलितों के लिए खोले।

महात्मा फूले ने ब्राह्मणों की शिक्षा पर एक तरफा आधिपत्य का कड़ा विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मणों ने अन्य वर्गों व महिलाओं में शिक्षा का प्रसार नहीं होने दिया। महात्मा फूले ने ब्राह्मणों को कपटी एवं पाखंडी कहा और लोगों को उनके पाखण्ड का विरोध करने के लिए जागृत किया। महात्मा फूले वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। 1 जून 1873 को एक पुस्तक प्रकाशित की **गुलामगीरी**, जिसमें उन्होंने जाति समुदाय जैसे भेदभावों को व्यर्थ बताया।

1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एवं उनके बच्चों के लिए अनाथालय खोला। महात्मा फूले ने विधवा विवाह के लिए लोगों को जागृत किया। 1868 में उन्होंने अपने घर के तालाब को शूद्रों को नहाने के लिए खोल दिया।

24 सितम्बर 1874 में महात्मा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उसके अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बने। सावित्री बाई सत्यशोधक समाज समाज की महिला शाखा की मुखिया बनीं। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य शूद्रों को ब्राह्मणों के शोषण से मुक्त करना था। सत्य शोधक समाज के सभी सदस्य मनुष्यों को एक समान ईश्वर की साधना बिना की मीडिएटर के करने के लिए शिक्षित किया करते थे। 1876 तक सत्य शोधक समाज के सदस्यों की संख्या 316 हो गयी थी। महात्मा फूले ने कई ग्रन्थों का लेखन किया जिनमें **गुलामगीरी, शेत कारावा, आसुद, इशारा, तृतीय रत्न, ब्रह्मनाचे कसाव, पवाडा, सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाश्टकासाह सर्व पूजा विधि, सत्सार, सार्वजनिक सत्य धर्म** पुस्तक मुख्य थी।

महात्मा फूले के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर महात्मा फूले को 1876 से 1882 तक पूना म्यूनिसपालिटी का सदस्य भी नियुक्त किया गया।

28 नवम्बर 1880 को इस महान समाज सुधारक ने पृथ्वी लोक से विदा ले ली।

महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, रहुरी महाराष्ट्र

महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ रहुरी की स्थापना 29 मार्च 1968 में हुई, जो बाद में महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ महान समाज सुधारक महामना ज्योतिराम फूले के नाम पर जाना गया। यह महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में रहुरी स्थान पर अवस्थित है। कृषि शोध संस्थान के नाम पर यह एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। अहमद नगर एक ऐतिहासिक स्थान है जो निजाम शासकों की राजधानी हुआ करता था।

डॉ. हेमन्त कुशवाहा

महिला आरक्षण बिल बनाम सामाजिक न्याय

महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए श्री लालू यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का वर्तमान स्वरुप पिछड़े वर्गों के राजनैतिक सफलता पर निशाना साधना है साथ ही यह क्षेत्रीय दलों को सफाया करने वाला है।
उन्होंने कहा समाज में विभिन्न वर्ग है और सभी वर्गों का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। हम चाहते है कि इस महिला आरक्षण में अति पिछड़े वर्गों की महिलाओं के स्थान सुनिश्चित हों।

लालू प्रसाद यादव
(अध्यक्ष - राष्ट्रीय जनता दल)

महिला आरक्षण पर श्री शरद यादव ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हमें महिला आरक्षण बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते उसके स्वरुप को बदला जाए।

उन्होंने कहा कि भारत के नीतियों की दयनीय स्थिति के लिए यहाँ की जाति व्यवस्था जिम्मेदार है इस बिल को वर्तमान स्वरुप का हम विरोध करते हैं। यह पिछड़ों, दलितों के खिलाफ साजिशहै। इन का कहना है कि महिला आरक्षण में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमें कोई गुरेज नहीं यदि आप 50 प्रतिशत भी आरक्षण दे दो लेकिन पिछड़ो, दलितों की भागीदारी नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार ने ढाई साल पहले ही 50 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा जाति व्यवस्था के कारण गुलाम है। जाति व्यवस्था तोड़ों, महिलाओं की स्थिति बिना किसी बिल के ऊपर उठेगी। उन्होंने कहा कि इस बिल को इसी रुप में पास कराना सुकरात की तरह जीते जी जहर पीना है।

शरद यादव (जनता जद (यू) अध्यक्ष एवं एनडीए समन्वयक)

महिला आरक्षण अपनी राय रखते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि हम बिल के खिलाफ नहीं है। संविधान के समस्त संशोधन सर्वसम्मति से पारित किए गए है। इसे भी सर्वसम्मति से पास कराए। सर्वदलीय बैठक बुलाएं। राजनीतिक दलों को आरक्षण की जिम्मेदारी दीजिए जो राजनीतिक दल महिलाओं को कोटा नहीं देता है उसका पंजीकरण खत्म कीजिए। उन्होंने कहा कि यह बिल एक साजिश है उनके खिलाफ जो वर्षों के मेहनत और संघर्ष केबाद संसद तक पहुँचे हैं।

मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, शरद यादव, लालू यादव, बासुदेव आचार्य जैसे नेता एक दिन में संसद में नहीं पहुंचे। यह बिल "लीडरशिप" को खत्म करने की एक साजिश है।

मुलायम सिंह यादव
(भूतपूर्व मुख्यमंत्री - उत्तर प्रदेश)

---

33 फीसदी आरक्षण की बात महिलाओं के लिए की जा रही है सिद्धान्ततः मेरा कोई विरोध नहीं है किंतु सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि 33 प्रतिशत के महिला आरक्षण में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए अर्थात कोटे के भीतर कोटा होन चाहिए।

कल्याण सिंह
(भूतपूर्व मुख्यमंत्री - उत्तर प्रदेश)

जब मैंने टेलीविजन पर यह सुना कि 100 दिनों के भीतर महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है तब ही मैंने और मेरी पार्टी ने यह फैसला किया कि इस बिल का विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम ऐसी पार्टियों की साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने पिछड़ों, दलितों और जनजाति महिलाओं के हितों को ध्यान में न रखते हुए बिल को समर्थन कर रही हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल के भीतर एक पृथक आरक्षण की मांग उठायी है।

उमाभारती
(अध्यक्ष - भारतीय जन शक्ति पार्टी)

महिला आरक्षण बिल पर अपना मत रखते हुए श्रीमती जयाप्रदा ने कहा कि यह बिल काफी समय से लंबित है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बिल कई पूर्वाग्रह एवं जटिलताओं से भरा है। इस बिल का वर्तमान स्वरुप भेदभाव पूर्ण है, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी ने विरोध दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि जब हम महिलाओं के लिए सीटे आरक्षित करने की बात करते हैं तब इसमें अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के लिए भी इसमें स्थान होना चाहिए।

जयाप्रदा
(माननीय सांसद - समाजवादी पार्टी)

BUDGETARY SUPPORT FOR OBC WELFARE

V. HANUMANTHA RAO, MEMBER OF PARLIAMENT(RS), CONVENOR PARLIAMENTARY FORUM OF OBC MPs, WRITES TO FINANCE MINISTER

Respected Sir, Sri. Pranab Mukherjee Garu,

We wish to state that the budget allocation for the various sections of the society who deserve financial support have been done by the UPA government and on a persual of the funds allocation to the deprived sections in the OBCs, We find that the allocation is not in proportion to their population.

Funds allocation for plan Expenditure 2000 - 2008

(Rupees in crores)

Division	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Total*	1322.70	1410.00	1370.00	1491.00	1495.23	1686.11	2200.00
OBC	**71.45**	**68.85**	**62.10**	**65.30**	**65.30**	**117.00**	**200.50**

*Include allocation for SC, ST, OBC, Minorities, Disablility, Social Defence, N. East&Sikkim.

Funds allocation for Non plan Expenditure 2000 - 2008

(Rupees in crores)

Division	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Total*	45.64	49.02	50.30	42.92	54.35	58.61	60.00
OBC	**1.55**	**1.55**	**1.45**	**1.45**	**2.05**	**2.57**	**2.09**

*Include allocation for SC, ST, OBC, Minorities, Disablility, Social Defence, N. East&Sikkim.

While the **total allocation** for various communities and areas has been **risen from Rs. 1322 crores in 2001 - 02 to Rs. 2200 crores in 2007 - 08,** for the **OBC, welfare,** it has not actually been increased proportionately.

In the Xth plan outlay between 2002 - 07, for OBCs, the outlay is only Rs. 404.41 crores as against the total outlay of Rs. 6976.93 crores and actually expended amount for OBCs is Rs. 429.89 crores as against total expenditure of Rs 6642.83 crores that includes Rs. 5048 croers for SCs, Rs. 919 crores for persons with disabilities and Rs. 224 crores for social defence.

It can be seen that the budget allocation for OBCs is not adequate in comparison to the OBC population living below poverty line and hence request further improvement in funds allocation for OBCs Welfare for the ensuing financial year 2009-10. So that the welfare schemes for the deserving OBCs can be met adequetly.

This will also be well taken by the OBC people across the country.

(V.HANUMANTHA RAO)

No. 232 MOS (P&PA) 2009

वी. नारायणसामी
V. NARAYANASAMY

सत्यमेव जयते

राज्यमंत्री योजना एवं संसदीय कार्य
भारत सरकार
योजना आयोग
योजना भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

MINISTER OF STATE FOR
PLANNING & PARLIAMENTARY AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
PLANNING COMMISSION
YOJANA BHAWAN, PARLIAMENT STREET
NEW DELHI-110 001
TEL. : 011-23096561/2390562/23096563
FAX : 011-23096713
E-MAIL : samyselvi@nic.in

June 18, 2009

Dear Shri Karunanidhy,

Thank you very much for sending a letter dated 29-05-2009 regarding Budgetary support for OBC welfare. In this connection, I have requeste the concerned officer in the Planning Commission to examine the proposal and to do the needful.

With regards,

Yours sincerely,

(V. Narayanswamy)

Shri G. Karunanidhy
General Secretary
All India Federation of
Other Backward Classes
Employees Welfare Associations
139, Broadway, Chennai 600 018

सत्यमेव जयते

The Constitution of India

IMPORTANT ARTICLE RELATED TO EQUALITY AND RESERVATION

ARTICLE 14 : RIGHT TO EQUALITY

Equality before Law : The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

ARTICLE 15 : PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RELIGION, RACE, CASTE, SEX OR PLACE OF BIRTH.

1. No citizen shall, on grounds only of religion, Race, caste, sex, place of birth or any of them.
2. No citizen shall on grounds only of religion, Race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to -
   (a) Access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment or
   (b) The use of well, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or party out of state funds or dedicated to the use of general public.
3. Nothing in this article shall prevent the state from making any social position for woman and children.
4. Nothing in this article or in clause (2) of article 27 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled Caste and scheduled Tribes.]
5. Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially an educationally backward classes of citizens or for the Schedule Caste or the Schedule Tribes in so for as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) or article 30.]

Notes on Article 15

To promote the educational advancement of the socially and educationally backward classes of citizens, i.e., the OBCs or of the scheduled caste and scheduled Tribes in matters of admission of students belonging to these categories in unaided educational institutional, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the constitution, in article 15 clause (5) has been inserted after clause (4). The new clause (5) Shall enable the parliament as well as the State Legislatures to make appropriate Laws for the purpose mentioned above.

जौनपुर क्षेत्र में यूनियन बैंक अ.पि.वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक दिनांक 21 जून 2009

सभा को संबोधित करते हुए
संगठन के सदस्य **श्री दिलीप कुमार**

सभा को संबोधित करते हुए
संगठन के पदाधिकारी **श्री ए. के. जायसवाल**

सभा को संबोधित करते हुए महामंत्री **श्री अमृतांशु**
(मध्य में) एवं उपाध्यक्ष **श्री विनोद कुमार शर्मा** तथा
सहायक महामंत्री **श्री सनील कुमार**

सभा को संबोधित करते हुए
संगठन के कोषाध्यक्ष **श्री अशोक कुमार**

Surabhi International Hotel

Paharia,Sarnath Road, Varanasi

Ph: 0091-542-2587993,2587600,2587601, Fax : 0091542-2587992

Website : www.hotelsurbhi.com, E-mail : hotelsurbhivns@rediffmail.com, info@hotelsurbhi.com